

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 690 / 2013  
संस्थान दिनांक 12.11.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

डुवालसिंह पिता सुड़किया, आयु 25 वर्ष,  
निवासी-ग्राम बोरलाय मानकर मोहल्ला,  
तहसील-अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

---

//निर्णय //

(आज दिनांक 23.04.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 317 / 2013 अंतर्गत 294, 323, 324, 506 भा.द.सं. में दिनांक 12.11.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 03.11.2013 को समय रात्रि 8:00 बजे, फरियादी के घर के सामने ग्राम बोरलाय में फरियादी किशन को स्वेच्छया धारदार उपकरण दराते से मारकर उसे उपहति कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 12.03.2015 को फरियादी किशन एवं लीलाबाई व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी किशन संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादीगण अभियुक्त को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 03.11.2013 को फरियादी किशन का पुत्र घर के सामने पेशाब कर दी थी, तब फरियादी का भतीजा डुवालसिंह आया और उसकी पत्नी लीलाबाई को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देते हुए कहा कि उसके घर के सामने बच्चे पैशाब करते हैं और ललीताबाई के साथ अभियुक्त डुवालसिंह थप्पड़-मुक्कों से मारपीट करने लगा तथा बाल पकड़ लिये तभी फरियादी किशन बीच-बचाव करने आया तो उसे भी अभियुक्त डुवालसिंह ने माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी तथा लोहे का दराता धार तरफ से मारा जो फरियादी ने हाथ से पकड़ा जिससे उसके दाहिने हाथ के अंगुठे में चोट आई तथा चमड़ी कट गई व रक्त निकलने लगा। घटना में बीच-बचाव मनोज एवं उदयसिंग ने किया। पुलिस ने फरियादी किशन द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 317/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 भाग-2 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 506 भाग-2 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.11.2013 को समय रात्रि 8:00 बजे, फरियादी के घर के सामने ग्राम बोरलाय में फरियादी किशन को स्वैच्छया धारदार उपकरण दराते से मारकर उसे उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**उक्त विचारीय प्रश्न के संबंध में**

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी किशन अ.सा.1 का कथन है कि घटना लगभग ढेड़ वर्ष पूर्व रात्रि 8 बजे की है। उसके पुत्र ने घर के सामने बाथरूम कर दी थी, इस बात को लेकर विवाद हुआ था तथा अमुक-झमुक में वह गिर गया था तब जमीन पर पड़ा पत्थर उसे हाथ में लग गया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी जो प्रदर्शपी 1 है। पुलिस ने उसे ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल अंजड़ में भेजा था। लेकिन साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा लोहे का दराता मारने की बात लिखाने से इंकार किया है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे अभियुक्त ने दराती से मारा था, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आई थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 2 के पुलिस कथन में अभियुक्त द्वारा मारने से चोट आने के संबंध में लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह असत्य कथन कर रहा है।

7. उपनिरीक्षक पी.एस. डावर अ.सा.2 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 317/13 की विवेचना के दौरान फरियादी किशन के बताये अनुसार प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल का नक्शा बनाये, साक्षियों एवं फरियादी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने तथा अभियुक्त के पेश करने पर एक लोहे का दराता प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसे कोई वस्तु जप्त नहीं कराई थी अथवा उसने असत्य विवेचना की है।

8. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये हैं। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी स्वयं ने अभियुक्त से राजीनामा होने के कारण अभियुक्त द्वारा दराते से मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तो अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

9. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त डुवालसिंह के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 324 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

10. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का दराता अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा मदिरा का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी